कार्यालय मुख्य अभियन्ता
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
पनकी ताप विद्युत गृह,
पनकी–कानपुर–208020
Telephone No. 0512- 2263296
FAX :- 0512- 2263023
E-mail : gm.panki@uprvunl.org
CIN : U40101UP1980 SGC 005065

पत्रांकः– /पीटीपीएस/मु0अभि0/अ0अ0(मु0)/एम–4 (मेडिकल) दिनॉकः–

"विज्ञापन सं0 उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/2018"

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के, पनकी परियोजना चिकित्सालय, पनकी, कानपुर में कार्य करने हेतु निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर एक वर्ष हेतु नियत मानदेय पर नियुक्ति हेतु **Walk in Interview** के माध्यम से चयन किये जाएगे। संविदा पदों पर तैनाती हेतु साक्षात्कार **दिनांक 21.02.2018** को पूर्वान्ह 11:00 बजे से 02:00 बजे तक पनकी ताप विद्युत गृह के अधिकारी अतिथि गृह में सम्पन्न होगा तथा साक्षात्कार में सम्मलित अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने शैक्षिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक मूल प्रपत्रों तथा उनके एक सेट छायाप्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

कम सं0	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	निर्धारित संविदा मानदेय
1	स्टाफ नर्स	02	उ0प्र0 नर्सिंग काउन्सलिंग द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा (उ0प्र0 नर्सिंग कौंसिल में पृजीकृत) एवं 02 वर्ष का किसी नर्सिंग होम/अस्पताल में कार्य का अनुभव।	रू0 16500.00 प्रतिमाह
2	फार्मासिस्ट	01	उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा (उ0प्र0 फार्मेसी कौंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पृजीकृत) एवं 02 वर्ष का नर्सिंग होम/मेडिकल स्टोर/मेडिसन के उत्पादन इकाई में कार्य का अनुभव।	रू0 16500.00 प्रतिमाह
3	फिजियोथेरेपिस्ट	01	उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा एवं एवं 02 वर्ष का किसी नर्सिंग होम/अस्पताल में कार्य का अनुभव।	रू0 60.00 प्रति मरीज प्रतिदिन (अधिकतम 11,800. 00 प्रतिमाह)

नियम व शर्ते :–

चयनित अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष होना चाहिए एवं चयनित अभ्यर्थी रू0 50.000 का नाम ज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करायेगें। अनुबन्ध निष्पाद में होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थियों को स्वंय वहन करना होगा तथा अनुबन्ध में निम्न शर्तों का उल्लेख होगा।

1. संविदा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अनुबन्ध निष्पादित होने के 15 दिनों के अन्दर अपने नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त अवधि में कार्यभार प्रारम्भ न करने की दशा में संविदा/अनुबन्ध स्वंय निरस्त समझा जाएगा।
2. संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन परियोजना प्रमुख द्वारा कराया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष/सूचना की दशा में निगम/परियेाजना को यह अधिकार होगा कि संविदा/अनुबन्ध बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा।

कमशः........... 2

3. सम्बन्धित संविदा कर्मचारी अपना स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी से बनवाकर प्रस्तुत करेगा, जो विलम्बतम अनुबन्ध के 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. संविदा कर्मचारी संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय न होगा।
5. संविदा कर्मचारी निगमीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार न होगा।
6. संविदा नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी एक समय एक माह की सूचना या एक माह की संविदा रकम का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
7. संविदा पर कार्यरत कर्मचारी के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जाएगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थाईकरण का दावा नहीं करेगे और न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
8. संविदा अवधि के दौरान परिलब्धियॉ अपरिवर्तनीय रहेंगी।
9. संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का प्रत्येक अनुपस्थिति होने पर प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 800.00 प्रतिदिन के आधार पर संविदा राशि से काटा जाएगा।
10. **संविदा कर्मचारी को परियोजना चिकित्सालय, पनकी में सामान्य कार्य एवं पाली कार्य हेतु आवश्यकतानुसार तैनात किया जा सकता है।**
11. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, पत्र जारी होने के 15 दिनों के अन्दर होगी एवं इस अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

(मयंक मांगलिक)
अधीक्षण अभियन्ता (मु0) एवं
संयोजक चयन समिति